हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

संख्याः: एस.जे.ई.– ए(3)12/2005 तारीख शिमला–2 28 अप्रैल, 2009

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 22.04.2008 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहायक अधीक्षक(गृह)वर्ग–III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1.(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहायक अधीक्षक(गृह), वर्ग–III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति(प्रथम संशोधन) नियम, 2009 हैं।

(2)ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

उपाबन्ध "क" का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहायक अधीक्षक(गृह), वर्ग–III(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध "क" में :–

(क) स्तम्भ संख्या–11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिख्ति रखा जाएगा, अर्थातः–

(i)चालीस प्रतिशत प्रोडक्शन युनिट गाईड–कम–टीचर /क्राफट टीचर में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

(ii)साठ प्रतिशत महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित पांच, बिन्दू रोस्टर विहित किया जाएगाः–

पहला तथा दूसरा पद प्रोडक्शन यूनिट गाईड–कम–टीचर /क्राफट टीचर ।

तीसरा, चौथा तथा पाचवां पद महिला सामाजिक कार्यकर्ता।

रोस्टर हर पांचवें बिन्दु के बाद दोहराया जाता रहेगा, जब तक कि सभी प्रवर्गो को दी गई प्रतिशतता का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है। तत्पश्चात रिक्ति उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद खाली होता हो :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1), उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण II उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :–

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उपमण्डल ।

3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर ।

8. सिरमौर जिला में उप–तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।

9. मण्डी जिले में करसोग तहसील का खन्योल –बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उप–तहसील के गाड़ा गोसाई, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग,सिल्ह भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार वृत्त,

थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच– बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।

(1) प्रोनन्ति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल(तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो)के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/ पद /काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएगे ।

स्पष्टीकरण :– अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल(रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज)रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम –3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति /प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा
प्रधान सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः एस.जे.ई.– ए(3)12/2005 तारीख शिमला–2 28 अप्रैल, 2009

1.समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2।
2.नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि.प्र., शिमला.5 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतू एवं उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन के उपरान्त राजपत्र की पांच प्रतियां इस विभाग को भिजवाने की कृपा करें ।
3.निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला.9 को तथा उनसे अनुरोध है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से राजपत्र की पांच प्रतियां प्राप्त करने की कृपा करें ।
4. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव(विधि)हिमाचल प्रदेश सरकार, ।
5.वरिष्ठ विधि अधिकारी–।। विधि विभाग सचिवालय हिमाचल प्रदेश।
5. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां ।

अवर–सचिव(एस.जे.ई.)
हिमाचल प्रदेश सरकार !

(Authoritative English Text of this department notification Endst. No SJE-A(3)12/2005 , dated 28th April, 2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment.
.....

Endst. No SJE-A(3)12/2005 ,, dated, Shimla-2 the 28 April, 2009

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh,in consultation with the H.P Public Service Commission. is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Assistant Superintendent(Home),Class-III(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, rules, 2007 notified vide this department Notification of even number dated 22.04.2008. namely:-

Short title and Commencement; 1(1)These Rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department Assistant Superintendent(Home),Class-III(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion(first amendment) Rules, 2009

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-A: 2 In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department , Assistant Superintendent(Home),Class-III(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, rules, 2007:-

(a) for the existing provisions against Col.No.11, the following shall be substituted, namely:-

(i) 40% by promotion from amongst the production unit guide-cum-teachers/Craft Teachers who possess 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any, in the grade.
(ii) 60% by promotion from amongst the lady social workers who possess 7 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.
For the purpose of promotion, the following five point roaster shall be prescribed:-
Ist and 2nd point Production unit guide-cum-teacher/ Craft teacher 3rd, 4th and 5th posts lady social workers..

The roster will be rotated after every 5th point till the representation to all the categories is achieved by the given percentage. Thereafter the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/ difficult areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:

Provided further that the proviso(I)supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I: For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II: For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1.District Lahaul & Spiti
2.Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3.Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5.Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6.Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9.Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Bawara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post , if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotions Rules;

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service on adhoc basis followed by regular service/ appointment in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him/her in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the recruitments of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service. If the adhoc appointment/promotion had been after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order
Pr. Secretary(SJ&E)to the
Govt. of Himachal Pradesh.

Endst. Endst. No SJE-A(3)12/2005 , dated, Shimla-2 the 28 April,2009
Copy to.

1.All the Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2
2.Controller, Printing & Stationery Deptt., H.P., Shimla-5 for publication in the Govt. Gazette.
3. Director, Social Justice & Empowerment, H.P., Shimla-9 . She is requested procure five copies of the Rajpatra from Printing and Stationery Department.
4. The Sr. Law Officer Law Department(Opinion)H.P.Sectt., Shimla-2
5.The Sr. Law Officer, Law Deptt.(Hindi)H.P. Secretariat Shimla-2.
6.Guard file/ 50 spare copies.

Under Secretary(SJ&E)to the
Govt. of Himachal Pradesh.